न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

[illegible] नम्बर 47/2023

दायर दिनांक–24.04.2024

1. महावीर पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।

– वादी

बनाम

1. अमर सिंह पुत्र बिरजू सिंह (मृतक)
   1/1 मदन कंवर पत्नी अमर सिंह
   1/2 महेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह
   1/3 दातार सिंह पुत्र अमर सिंह
   1/4 गोविन्द सिंह पुत्र अमर सिंह
   1/5 दलिप सिंह पुत्र अमर सिंह
   1/6 शक्ति सिंह पुत्र अमर सिंह
   1/7 ओम कंवर पुत्री अमर सिंह
   1/8 प्रकाश कंवर पुत्री अमर सिह
   1/9 संतोष कंवर पुत्री अमर सिंह
   1/10 बशु कंवर पुत्री अमर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।
2. गुडी कंवर पत्नी रतन सिंह
3. रणजीत सिंह पुत्र रतन सिंह
4. श्योदान सिंह पुत्र रतन सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।
5. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री सज्जन चाहर**
वकील प्रतिवादी :– **श्री नेमीचंद डूडी**

दावा बाबत घोषणा
व रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–07.02.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 887 रकबा 2.1200 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वादी ने प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 से दिनांक 17.08.2004 को 10/– रूपये पर लिखापढी करके उनका प्रत्येक का हिस्सा 1/32–1/32 खरीदा था तथा उसी दिन से इनके हिस्से पर वादी ने कब्जा काश्त प्राप्त कर लिया था। उक्त प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वादी के सगे भाई है। बही में लिखापढी करवाकर वादी व प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाकर वादी को कब्जा सौंप दिया था तथा उसी दिन से वादी इस भूमि पर शांतिपूर्वक अपना कब्जा काश्त चालू कर दिया। जो निर्विवाद रूप से वादी का कब्जा आज दिनांक तक है। प्रतिवादी संख्या 1 अमर सिंह से दिनांक 24.01.2000 को 10000 रूपये देकर प्रतिवादी नं0 1 अमर सिंह का हिस्सा 1/8 भी वादी ने क्रय कर लिया [illegible] प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज धापु कंवर का 1/8 हिस्सा वादी ने ले लिया जिसकी लिखापढी [illegible] 1999 में वादी को करके दी व स्टाम्पर पेपर पर सन 1998 को लिखापढी करके दी थी इस प्रकार [illegible] खसरा नम्बर की भूमि में 3/8 हिस्से का मालिक वादी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। [illegible] 3/8 हिस्से पर कब्जा काश्त है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि झाझड [illegible] सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 887 रकबा 2.1200 है0 जिसमें वादी को 3/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व धापु कंवर पत्नी भंवर सिंह का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:21:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/10 की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 की ओर से वकील श्री नेमीचंद डूडी उपस्थित न्यायालय होकर इकबालिया जबाब दावा पेश किया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर तथा शेष प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जबाब पेश होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु सुरेन्द्र सिंह तथा महाबीर सिंह के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वकील प्रतिवादी ने शहादत नही पेश कर वाद अनुसार निर्णय जारी करने हेतु सहमति दी गई। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 इकरारनामा प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, प्रदर्श 3 ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। वकील प्रतिवादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों अनुसार निर्णय किये जाने पर सहमति दी। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–2 ग्राम झाझड का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार वाके राजस्व ग्राम झाझड तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 887 रकबा 2.1200 है0 भूमि स्थित होना प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध गोदनामा के आधार पर धापू कंवर पत्नी भंवर सिंह नाऔलाद फौत हो गयी है जिसका वारिस गोदपुत्र के रूप में वादी है। तथा प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 की ओर से इकबालिया जबाब दावा पेश किया पेश कर उक्त भूमि को वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 का हिस्सा क्रय करना साबित होता है। अतः भूमि जरिये इकरारनामा विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का वाद आज तक पेश नही किया है जिससे स्पष्ट है कि वादी का आज तक प्रतिवादीगण की सहमति से शाति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण द्वारा भी उक्त के संबंध मे इकबालिया जबाब पत्रावली पर पेश है। ऐसी स्थिति में जहां प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार कर लिया है एवं दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद शेष नही रहा है, वहां न्यायालय को राजस्व हानि/कर चोरी का पक्ष देखना आवश्यक है। वादी द्वारा अपना वाद प्रतिवादीगण के इकबालिया जबाब, दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं कब्जा काश्त अनुसार पूर्णतया साबित पाया गया है। उभय पक्ष की सहमति को देखते हुए न्यायालय राय में उक्त प्रकरण कर अपवंचन का प्रतीत होता है अतः वाद वादी राजस्व हानि के दृष्टि से सशर्त वर्तमान डी. एल.सी. दर से देय मुद्रांक कर`एवं पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से उक्तानुसार स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम झाझड की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 887 रकबा 2.1200 है0 जिसमें वादी को 3/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 तथा धापु कंवर पत्नी भंवर सिंह का नाम हजफ किया किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी॰एल॰सी॰ दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:21:06 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] कुमार सैनी)
[illegible] कार्यपालक
[illegible] (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:–47 / 2023 **(महावीर बनाम अमर सिंह आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 07.02.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम झाझड की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 887 रकबा 2.1200 है0 जिसमें वादी को 3/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 तथा धापु कंवर पत्नी भंवर सिह का नाम हजफ किया किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 07.02.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:21:06 IST
Reason: SelfAttested